



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)

All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)

Tatibandh, GE Road,

Raipur-492 099 (CG)

www.aiimsraipur.edu.in

No. AIIMS/R/CS/Old News Paper/2022/

Date: 25.07.2022

नीलामी सूचना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के द्वारा पुराने अखबारों (रद्दी समाचार पत्र) व पुरानी पत्रिकाएँ लगभग 500 किलो एवं फटे पुराने गत्ते इत्यादि लगभग 300 किलो की नीलामी की जायेगी। नीलामी हेतु कोटेशन दिनांक: 01.08.2022को दोपहर 03:00 बजे तक भंडार कार्यालय चिकित्सा माहविद्यालय भवन गेट नं. 5 पर जमा किया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी में भाग लेने हेतु उपर्युक्त दिनांक तक कोटेशन जमा करे जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	समाग्री का विवरण	मात्रा	दर प्रति किलो
1	पुराने अखबारों (रद्दी समाचार पत्र) व पुरानी पत्रिकाएँ एवं अन्य कागज इत्यादी	लगभग 500 किलो	
2	काटूर्न व गत्ते इत्यादि	लगभग 300 किलो	

नियम एवं शर्तें

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में पुराने अखबारों, पुरानी पत्रिकाएँ इत्यादी का विक्रय " जहाँ है, जैसा है " के आधार पर किया जायेगा।
- इच्छुक व्यक्ति/संस्था दिनांक 28.07.2022 से 29.07.2022 तक दोपहर 03:30 से 5:30 तक समाग्री का अवलोकन कर सकते हैं एवं उपरान्त दिनांक 01.08.2022 को 03:00 बजे तक दर कोटेशन जमा कर सकते हैं जो उसी दिन 03:30 बजे खोला जायेगा।
- खरीददार का निर्धारण अधिकतम स्वीकार्य मूल्य के आधार पर किया जायेगा।
- पुराने अखबारों, पुरानी पत्रिकाएँ एवं फटे पुराने गत्ते का माप तौल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की प्रतिनिधि के समक्ष की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो संस्थान की माप तौल मशीन को उपयोग में लिया जा सकता है।
- अधिकतम स्वीकार्य मूल्य के बोली दाता (Bidder) को कुल लॉट मूल्य के 25 प्रतिशत की राशि को बयाना राशि (EMD) के रूप में तुरन्त जमा करना होगा जो नगद या डीडी मान्य रहेगा।
- बिके हुए सामग्री को उठाने के पहले शेष भुगतान Demand Draft- AIIMS, Raipur के नाम पर 7 दिवस के अन्दर संस्थान में जमा करना होगा। Demand Draft- AIIMS, Raipur के नाम पर होगा।
- बिके हुए सामग्री को 7 दिवस के भीतर उठाना आवश्यक है। तत्पश्चात अगले 14 दिनों तक 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन (शेष सामग्री के मूल्य का) के दर से जुर्माना राशि के साथ सामग्री उठाने की अनुमति होगी। इसके पश्चात बोलीदाता की बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी।
- समस्त बिके हुए सामग्री के उठावन इत्यादि का बन्दोबस्त स्वयं खरीददार की होगी। एम्स, रायपुर द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- आयकर, विक्रय कर एवं अन्य संबंधित कर नियमानुसार वसूल की जायेगी।
- एम्स, रायपुर/अधिकृत अधिकारी के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इससे संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल रायपुर न्यायालय में स्वीकार्य होगी।
- इस सूचना में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है जिसे कम या ज्यादा किया जा सकता है
- एम्स, रायपुर द्वारा नियम एवं शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।

वरिष्ठ खरीद सह भंडार अधिकारी
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
रायपुर (छ.ग.)